जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-27.02.2025**

एसओजी टीम शामली व थाना कैराना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग, मारपीट करने की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस व मोटर साईकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 11.01.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षो में एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व मारपीट की घटना हुई थी। घटना के सम्बन्ध में इमरान पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 20 व्यक्ति नामजद व 08-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात तथा तासमीन पुत्र इकराम निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 23 व्यक्ति नामजद व 08-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटना में घायल 04 व्यक्तियों को उपचार हेतु भेजा गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण में 29 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में एसओजी टीम शामली व थाना कैराना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग, मारपीट करने की घटना में वांछित 25,000/- रुपये के ईनामी अभियुक्त को ग्राम मलकपुर जंगल से पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस व मोटर साईकिल बरामद हुयी है। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु सीएचसी भेजा गया है। अभियुक्त उपरोक्त थाना गंगोह जनपद सहारनपुर से भी वांछित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.बिलाल उर्फ बिल्लू पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर।

2.प्लेटिना मोटर साईकिल बिना नम्बर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 93/2020 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 474/2020 धारा-147/148/149/307/325/332/342/353/427 भादवि व 7 सी0एल0 अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 419/2021धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 62/2022 धारा 120बी/395/412 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 71/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 267/2022 धारा120बी/147/149/323/325/504/506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 214/2023 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 508/2024 धारा126(2)/351(2) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 52/2024 धारा 147/148/149/307/324/325/326/342 भादवि व 25/27/3/4 आयुद्ध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

10.मु0अ0सं0 22/2025 धारा-109(1)/115(2)/190/191(2)(3)3(5)/351(2)/352 बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 100 ग्राम चरस बरामद।

आज दिनांक 27.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 100 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ता-

1.गुलाब पुत्र इलियास निवासी ग्राम असरफाबादथल थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 100 ग्राम चरस।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 90/25 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली

2.मु0अ0सं0 196/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 526/23 धारा 60(1)/ आबकारी अधिनियम 272/273 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 365/24 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 404/24 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 04/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 29/25 धारा 13 जुआं अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 10,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।</u>

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त दीपक उर्फ काला पुत्र सुधीर निवासी मौहल्ला गुगाल रोड़ धीर वाली गली निकट भैंरो मन्दिर ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना आदर्शमण्डी पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। **जिसके क्रम में आज दिनांक 27.02.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो-II कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त दीपक उर्फ काला उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रुपये अर्थदंड से दण्डित** किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.दीपक उर्फ काला पुत्र सुधीर निवासी मौहल्ला गुगाल रोड़ धीर वाली गली निकट भैंरो मन्दिर ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गैंगस्टर के मामले में 03 अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई गई 05-05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2020 में अभियुक्तगण 1.गुरुजेन्ट उर्फ जिन्टा पुत्र कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम धलावली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 2.अमरीत सिंह उर्फ अमृत पुत्र पाला सिंह निवासी विकास नगर थाना सदर करनाल जनपद हरियाणा 3.कर्मवीर उर्फ कर्मा पुत्र अजीत सिंह निवासी ग्राम अजीजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 01/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 27.02.2025 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC कैराना, शामली द्वारा गैंगस्टर के मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 05-05 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.गुरुजेन्ट उर्फ जिन्टा पुत्र कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम धलावली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2.अमरीत सिंह उर्फ अमृत पुत्र पाला सिंह निवासी विकास नगर थाना सदर करनाल जनपद हरियाणा।
3.कर्मवीर उर्फ कर्मा पुत्र अजीत सिंह निवासी ग्राम अजीजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>